सं०सं०–1/र०भ०–02/2012–.....09.(1)ब०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक : **संजय कुमार,**
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना।

पटना, दिनांक– 25 / 04 /2012

विषयः–रक्त भंडार (पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल) पटना को विपत्र कोड एन 2210012000008 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० **1,88,54,800/–** (एक करोड़ अठासी लाख चौवन हजार आठ सौ) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना, को विपत्र कोड एन 2210012000008 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में संलग्न विवरणी के अनुसार निम्नांकित प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० **1,88,54,800/–** (एक करोड़ अठासी लाख चौवन हजार आठ सौ) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि०(2), दि०–17.04.98, 2880/ वि०(2), दि०–06.05.06, 96/वि०(2), दि०–09.01.08 सहपठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०–17.03.08, 2938/ वि०(2), दि०–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना होगें तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार, पटना होगें।

4. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

5. इस राशि के व्यय का वहन गैर योजना व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0008–रक्त भंडार, माँग संख्या 20, विपत्र कोड– एन 2210012000008 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजना आय व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी ।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थपित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

7. इस राशि से बकाये वेतन विपत्र की निकासी की जा सकेगी, बशर्ते कि अधीक्षक बकाये वेतन विपत्र की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये वेतन की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और उनका दावा नियमानुकूल है तथा नियमित वेतन विपत्र की निकासी में कोई कठिनाई न हो।

क्रमशः

25/4/2012

8. इस आवंटनादेश में मशीन एवं उपकरण ईकाई में 5,00,000/– (पाँच लाख) रूपए की राशि भी समाहित है जो मशीनों के मरम्मति एवं रख रखाव तथा उसे क्रियाशील बनाने के लिए दिया जा रहा है।

9. इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/ अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

10. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।

11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

24/4/2012

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

16/4

ज्ञापांक–1/र०भ०–02/2012–.....09.....(1)ब०/ पटना, दिनांक–25/04/2012

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिलाधिकारी, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/ बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, (आपूर्त्ति शखा) पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

16/4/12

रक्त भंडार विपत्र कोड एन 2210012000008 को वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटन			
विषय शीर्ष	बजट में उपबंधित राशि	वर्त्तमान आवंटन	शेष राशि
01 01 वेतन	7122000	6409800	712200
01 02 विशेष वेतन	7000	6300	700
01 03 जीवन यापन भत्ता	4775000	4297500	477500
01 04 मकान किराया भत्ता	1352000	1216800	135200
01 05 परिवहन भत्ता	194000	174600	19400
01 06 चिकित्सा भत्ता	62000	55800	6200
01 07 अन्य भत्ता	550000	495000	55000
योग– वेतन एवं भत्ते	**14062000**	**12655800**	**1406200**
06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	250000	125000	125000
11 01 यात्रा व्यय	50000	25000	25000
13 01 कार्यालय व्यय	500000	250000	250000
13 02 वाहन का ईधन एवं रख रखाव	100000	50000	50000
13 03 दूरभाष	30000	15000	15000
13 06 वर्दी/पोशाक	18000	9000	9000
21 01 सामग्री एवं पूर्तियां	150000	75000	75000
21 02 दवा भण्डार	10000000	5000000	5000000
27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	5000000	0	5000000
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	300000	150000	150000
52 01 मशीनें एवं उपस्कर	6000000	500000	5500000
कुल योगः–	**36460000**	**18854800**	**17605200**

09(1)वि॰
25-4-12

(एक करोड़ अठासी लाख चौवन हजार आठ सौ रूपए) मात्र

24/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

16/4/12